

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 06/2012

श्रीमति लाली बैवा खाजू कौम चीता निवासी गांव रूपारेल तहसील मसूदा जिला-अजमेर
हाल निवासी ग्राम हरराज पुरा तहसील मसूदा जिला-अजमेर

-----वादिया

ब न म

- 1- श्रीमति सायरी बैवा श्री पीरू जाति चीता (मृतक)
- 2- श्री अली पुत्र श्री पीरू जाति चीता
- 3- श्री नीरा पुत्र श्री पीरू जाति चीता
- 4- श्री अणदा पुत्र श्री पीरू जाति चीता
- 5- श्रीमति हमीदा पत्नि श्री सांवरा जाति चीता
- 6- श्री बबलू नाबालिग पुत्र श्री सांवरा जी जाति चीता जरिये प्राकृतिक सरक्षिका माता श्रीमति हमीदा समस्त निवासीयान ग्राम रूपारेल तहसील मसूदा जिला-अजमेर राज0
- 7- राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक अधिकारी एवं तहसीलदार महोदय, मसूदा
-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 30-11-2017

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2016 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। जिसके तहत तहसीलदार मसूदा को पत्र क्रमांक 145 दिनांक 13.12.2016 को डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार मसूदा ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./17/5450 दिनांक 10.11.2017 को प्रस्तुत किया गया।

बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा यथा प्रस्ताव बंटवारा स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा रूपारेल पटवार क्षेत्र पीपलाज तहसील मसूदा में स्थित आराजियात खसरा नंबर 629 रकबा 03-05-00 किस्म चाही-1, 630 रकबा 00-08-10 किस्म चाही-1, 628/2 रकबा 03-00-00 किस्म बारानी-2, 742/1 रकबा 01-09-00 किस्म आबी-1, 831/2 रकबा 01-04-10 किस्म बारानी-2 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 09-07-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में क्रम संख्या 1 से दर्शाया गया को, वादिया श्रीमती लाली पत्नि खाजू कौम चीता साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 614/2 रकबा 04-11-00 किस्म बारानी-2, 635/2 रकबा 01-12-10 किस्म तालाबी-2, 742/3 रकबा 01-09-00 किस्म आबी-1, 805/3 रकबा 01-14-00 किस्म चाही-1 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 09-06-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में क्रम संख्या 2 से दर्शाया गया को, प्रतिवादी संख्या 3 नीरा पुत्र पीरू कौम चीता साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 614/1 रकबा 03-09-10 किस्म बारानी-2, 634/1 रकबा 01-04-10 किस्म चाही-1, 742/2 रकबा 01-00-10 किस्म आबी-1, 805/2 रकबा 01-13-00 किस्म चाही-1, 829 रकबा 00-09-10 किस्म बारानी-1 व 831/1 रकबा 01-10-00 किस्म बारानी-1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 09-07-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में क्रम संख्या 3 से दर्शाया गया को, प्रतिवादी संख्या 2 श्री अली पुत्र पीरू कौम चीता साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 614/3 रकबा 04-14-10 किस्म बारानी-2, 634/2 रकबा 01-01-00 किस्म चाही-1, 742/4 रकबा 01-19-00 किस्म आबी-1, 805/4 रकबा 01-13-00 किस्म चाही-2, कुल रकबा 09-07-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में क्रम संख्या 4 से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 4 श्री अणदा पुत्र पीरू कौम चीता साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 614/4 रकबा 04-04-00 किस्म बारानी-2, 628/1 रकबा 02-01-00 किस्म बारानी-2, 742/5 रकबा 01-09-00 किस्म आबी-1, 805/3 रकबा 01-13-00 किस्म चाही-2, कुल कित्ता 5 कुल रकबा 09-07-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में क्रम संख्या 5 से

.....लगातार

// 2 //

अंतिम निर्णय

राजस्व वाद संख्या 06 सन् 2012

श्रीमती लाली बनाम श्रीमती सायरी व अन्य
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दर्शाया गया है, को संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 4, 5 हमीदा पत्नि सांवरा, बबलू नाबा. पुत्र सांवरा तथा अनिता, रीना नाबा. पुत्रीयां सांवरा बसबराही माता हमीदा खुद कौम चीता साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 784/1 रकबा 02-18-00 किस्म बारानी-2, 635/1 रकबा 00-05-10 किस्म तालाबी-2 (रास्ता) कुल कित्ता 2 कुल रकबा 03-03-10 को संयुक्त रूप से अली पुत्र पीरू हि0 1/5, अणदा पुत्र पीरू हि0 1/5, नीरा पुत्र पीरू हि0 1/5, हमीदा पत्नि सांवरा, बबलू नाबा0 पुत्र सांवरा, अनिता, रीना, नाबा. पुत्रीयां सांवरा ब.स.ब. माता हमीदा खुद हि0 1/5 लाली पत्नि खाजू हि0 1/5 कौम चीता साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 805/1 रकबा 00-02-00 किस्म चाही-2 चाह को संयुक्त रूप से अली पुत्र पीरू हि0 1/4, नीरा पुत्र पीरू हि0 1/4, अणदा पुत्र पीरू हि0 1/4, हमीदा पत्नि सांवरा बबलू नाबा0 पुत्र सांवरा बसब0 माता हमीदा खुद हि0 1/4 कौम चीता साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 632 रकबा 00-12-00 किस्म गै0मु0चाह को संयुक्त रूप से भंवर, सुवा, नूरा पिसरान करीमा, रेशमी गुलाबी पुत्रीया करीमा, पन्नी पत्नि करीमा, सुलेमान, अलादीन, दीपक पिसरान सुबान, लक्ष्मी, मैना पुत्रीया सुबान, मदीना पत्नि सुबान, रहमान पुत्र अम्मी, कमला, जन्नी पुत्रीया अम्मी, सायर, हरजी, पप्पू पिसरान मोती, सोहनी, रोशनी पुत्रीया मोती, शांति पत्नि मोती, सम्मा पुत्र भूरा हि0 1/2, अली पुत्र पीरू हि0 1/10, अणदा पुत्र पीरू हि0 1/10, नीरा पुत्र पीरू हि0 1/10, हमीदा पत्नि सांवरा, बबलू नाबा0 पुत्र सांवरा, अनिता, रीना नाबा. पुत्रीया सांवरा बसब. माता हमीदा खुद हि0 1/10 लाली पत्नि खाजू हि0 1/10 कौम चीता साकिन देह खातेदार राहिन सुलेमान अलादीन, दीपक पिसरान सुबान, लक्ष्मी, मैना पुत्रीया सुबान मदीना पत्नि सुबान बी0आर0के0जी0 पीपलाज मुर्तहीन के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। यथानुसार तहसीलदार मसूदा राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एवं लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/11/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

